आदेश संख्या ______

महानिदेशक के निदेशानुसार महानिरीक्षक(तकनीकी सेवायें) और महानिरीक्षक (प्रोभीजन्स) के बीच कार्यों के बटवारा संबंधी निम्न प्रबंध किया जाता है । यह प्रबंध तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

आरक्षी महानिरीक्षक(तकनीकी सेवायें) के जिम्मे अभी निम्नलिखित कार्य हैं :-

(1) वितंतु, (2) कम्प्यूटर, (3) प्रशिक्षण, (4) आधुनिकीकरण एवं (5) भवन निर्माण की परियोजनायें ।

उपर कार्यों में से क्रमांक-3 प्रशिक्षण, 4 आधुनिकीकरण एवं 5 भवन निर्माण की परियोजनायें अब श्री जफर इब्राहिम, आ० म०, महानिरीक्षक(प्रोभीजन्स)द्वारा निष्पादित की जायेगी ।

महानिदेशक महोदय ने यह बिचार व्यक्त किया है कि 1-वितंतु और 2- कम्प्यूटर क्षेत्र तीन विषयों से सर्वथा भिन्न है और इसका भविष्य में बहुत ही विस्तार होने की संभावना है । अत: व्यवहारिक दृष्टि से भी क्रमांक 3, 4 और 5 को अलग करके आरक्षी महानिरीक्षक(प्रोभीजन्स) को देना उचित है ।

चूंकि यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा अत: आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोभीजन्स) और आरक्षी महानिरीक्षक(तकनीकी सेवायें) से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त नये प्रबंध के अनुसार कार्रवाई अविलम्ब आरंभ करने की कृपा करें ।

(विजयानन्द पाण्डेय),
आरक्षी महानिरीक्षक(कार्मिक)बिहार, पटना ।

ज्ञापांक ______/स्थापना महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना
पटना, दिनांक ______ सितम्बर, 1988 ।

प्रतिलिपि:- 1- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
2- सभी महानिदेशक/सभी महानिरीक्षक/सभी उप-महानिरीक्षक/ सभी आरक्षी अधीक्षक स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ ।

(विजयानन्द पाण्डेय),
आरक्षी महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना ।

बिन्दु-12288/

.....